

37.

ग्रामीण विकास एवं लघु वित्त की संकल्पना में महिला सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ.(श्रीमती) वसुधा अग्रवाल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय
(ग्वालियर)

वित्त मानव जीवन के सभी पक्षों आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर के बहुआयामी विकास के लिये आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण गरीब परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं के माध्यम से की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सूक्ष्मवित्त एक प्रकार का सूक्ष्म ऋण है, इसमें छोटी - छोटी राशि ऋण के रूप में गरीबों और ऋण तक पहुँच न रखने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है। सूक्ष्मवित्त में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिनके पास बैंकों में ऋण के बदले जमानत में कुछ नहीं होता है। गरीब वर्ग सूक्ष्मवित्त से कुटीर एवं छोटे - छोटे घरेलू व्यवसाय शुरू कर जीवनयापन का आधार तलाश लेते हैं।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण से आशय आर्थिक क्षेत्र में आत्मविश्वास, स्वनिर्णय एवं समाज में भागीदारी से है। यदि महिलायें सुशिक्षित हैं तो उनके विकास के मार्ग अपने आप खुल जायेंगे। सारी दुनिया के साथ भारत २१वीं सदी में प्रवेश कर गया है वर्ष २००९ को हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया था। महिला आर्थिक सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला को पुरुष के आर्थिक क्षेत्र के समान अधिकार से है, जिससे वह भी स्वआत्मसम्मान के साथ चल सकें। महिला की अपेक्षित भागीदारी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्णय की स्थिति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि हों तो महिला निश्चित ही सशक्त हो सकेगी।

गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं का योगदान :- गरीबी उन्मूलन के लिये सरकार के द्वारा जो व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनकी सफलता अथवा असफलता महिलाओं के योगदान पर निर्भर है। आर्थिक विकास के प्रति बढ़ती जागरूकता, बदलता सामाजिक परिवेश, बदलती संस्कृति और आधुनिक सभ्यता ने विश्व के विभिन्न समाजों को प्रभावित किया है। महिलाओं ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों की चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी उपयोगिता स्थापित की है। उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं की निरंतर बढ़ती भागीदारी एवं सफलता से उद्यमिता के विकास को नई दिशा मिली है।

विश्व के प्रत्येक समाज में महिलायें वस्तुतः पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। महिलाओं के प्रतिवर्ष ३६५०० औसत कार्य घण्टे पुरुषों की तुलना में लगभग १२०० घण्टे अधिक हैं परंतु न तो उन्हें उसका प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल पाता है न ही वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। स्त्री को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं ने अपना सशक्तिकरण कर गरीबी उन्मूलन में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। गरीबी उन्मूलन की प्रभावी सफलता के लिये महिलाओं में निम्न विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है -

१. महिला उद्यमी में आत्मविश्वास का गुण होना आवश्यक है। जब एक बार महिला

आत्मविश्वास के साथ किसी संस्था में स्वप्रतिष्ठा बना लेती हैं तो सभी लोग उसे स्वीकार करने हेतु तैयार हो जाते हैं।

२. कैरियर के प्रति जागरूक होना आवश्यक है वे एक अच्छी प्रबंधक हो सकती हैं तथा कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति भी महिला को सफल उद्यमी बना सकती है।

३. उद्यमिता के क्षेत्र में सफल होने के लिये महिला में शिक्षा एवं सामर्थ्य होने पर ही वह अपने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है। तथा अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर परिवार एवं समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकती है।

४. महिला उद्यमी का कल्पनाशील होना आवश्यक है तभी प्रतिस्पर्धी बाजार में नये विचारों तथा अवसरों की अच्छे ढंग से तलाश कर सकती है।

५. महिला उद्यमी में अपने सपने को पूरा कर सकने की दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिये।

महिला उद्यमिता की संभावनायें :- अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाद अब भारत में भी उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका क्रमशः बढ़ती जा रही है तथा पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर वे नियोजन, निर्णय एवं नियंत्रण रूपी उद्यमिता कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर रही हैं। महिला उद्यमिता के क्षेत्र निम्न संभावनायें हैं -

१. महिलाओं के लिये उपयुक्त उद्योग का चयन - रेडीमेड वस्त्र, स्वेटर्स, कारपेट, सौंदर्य प्रसाधन, सजावट सामग्री, अचार, पापड़, हस्त निर्मित सामान बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई बुनाई, लाख का सामान, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती आदि घरेलू या कुटीर उद्योग के रूप में लग सकती है।

२. कलात्मक कार्यों में महिलायें ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइन, पेंटिंग, हेल्थ क्लब, कुकिंग क्लास, मेंहदी, कार ड्राइविंग, इंटीरियर,

कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि में अधिक प्रवीण होती हैं और सीमित साधनों से अपने घर पर ही चला सकती हैं।

३. महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, वृहद् उद्योग स्थापित करना, स्क्रीन प्रिंटिंग टेलीफोन बूथ, इंटरनेट आदि का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं।

४. जहाँ कहीं महिलायें जागरूक संगठित और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी करने के लिये तत्पर हों वहाँ महिला नागरिक सहकारी बैंक का गठन किया जा सकता है तथा घरेलू व्यय में से छोटी - छोटी बचतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

महिला उद्यमिता विकास हेतु प्रियदर्शी योजना, वित्तीय सहायता, ऋण प्रदान करना, कृषि कार्यों हेतु ऋण, बैंकों की स्वरोजगार योजना, रोजगार इकाईयों हेतु सहायता, फुटकर व्यापार हेतु सहायता, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों हेतु सहायता, भारतीय स्टेट बैंक योजना, सुलभ ऋण आदि योजनायें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये महिलाओं की उद्योग/स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने के लिये महिलाओं हेतु विशिष्ट योजनायें प्रतिपादित की गयी हैं।

लघु वित्त का महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान :- विश्व के साथ भारत २१वीं सदी में प्रवेश कर गया है। महिला को पुरुष के समान आर्थिक अधिकार मिले जिससे वह भी आत्म सम्मान के साथ चल सके।

आर्थिक क्रियाएँ सामाजिक क्रियाओं का ही एक अंग होती हैं अतः महिला सशक्तीकरण को बगैर महिला की आर्थिक सहभागिता के नहीं समझा जा सकता। विकास और स्वतंत्रता को महिला की सशक्तीकरण का आधार माना गया है। वहीं प्राचीन समय में अयोग्यता से रूचि पर आधारित कार्य की योग्यता को सशक्तीकरण का आधार माना गया है। भारतीय समाज में

महिलाओं के द्वारा किये गये घरेलू कार्यों की गणना नहीं की जाती।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सशक्तिरण के मायने यदि खोजे जाएँ तो महिला की अपेक्षित भागीदारी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्णय की स्थिति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि हो तो महिला निश्चित ही सशक्त होगी।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भारत में ग्रामीण महिलाओं ने सूक्ष्म वित्त की योजनाओं से लाभ पाकर अपने उद्यम को न केवल स्थापित किया है बल्कि अपने उद्यम को मजबूती के साथ गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन के लिये सशक्त बनाया है। जिससे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की समस्या को हल करने में बहुत हद तक सहयोग प्राप्त हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

१. कल्याण अर्थशास्त्र - डॉ. अमर्त्य सेन
२. अर्थशास्त्र - जे. पी. मिश्रा
३. गरीबी और अकाल - डॉ. अमर्त्य सेन
४. प्रतियोगिता दर्पण
५. योजना मासिक पत्रिका
६. नई दुनिया , समाचार पत्र
७. सक्सैस मिरर
८. क्रोनिकल

